



थाना- फूलपुर, जनपद- आजमगढ़
अन्तर्जनपदीय टप्पेबाज/ठग गैंग के 04 शातिर अपराधी गिरफ्तार

लगभग 04 लाख के आभूषण, ₹2,90,000 नकद, अवैध असलहा-कारतूस, 03 कार व 04 मोबाइल बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन तथा क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना फूलपुर पुलिस व स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई से अन्तर्जनपदीय टप्पेबाज/ठग गिरोह के 04 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।

➡ □ इस संयुक्त टीम ने लगभग 04 लाख रुपये मूल्य के आभूषण, ₹2,90,000/- नकद, एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 03 चारपहिया वाहन व 04 मोबाइल बरामद किए।

पूर्व की घटना

➡ □ दिनांक 20.11.2025 को वादी राजकुमार साव, निवासी कस्बा व थाना फूलपुर द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पत्नी आशा देवी को झाड़-फूंक व बीमारी ठीक करने के बहाने ठगों ने बहला फुसलाकर सोने के गहने व नगद 15-20 हजार रुपये एक पन्नी में लेकर ठगी कर ली।

➡ □ इस संबंध में मु0अ0सं0 554/2025 धारा 318(4) बीएनएस अज्ञात 03 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना दौरान आरोपियों की संलिप्तता व साक्ष्य मिलने पर धारा 317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गई।

➡ □ दिनांक- 28.12.2024 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत एक टप्पेबाजी की घटना हुई थी, जिसमें थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 678/2024 धारा 318(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी व घटना का अनावरण

➡ □ दिनांक 06.12.2025 को थाना फूलपुर पुलिस व स्वाट टीम द्वारा खानजहांपुर पुलिस बूथ क्षेत्र में चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बिलारमऊ-चिरैया मोड़ रोड पर घेराबंदी कर चारों अभियुक्तों को समय 04.05 सुबह बजे गिरफ्तार किया गया।

➡ □ गिरफ्तारी समय अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में ठगी किया गया सामान, नकदी, अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण

➡ □ हम सभी ने मिलकर कस्बा फूलपुर में टप्पेबाजी की घटना की थी। इस घटना को अंजाम देने में मो० सलीम उर्फ बब्लू, असगर, सलमान पुत्र मो० रफी, निवासी पटेल नगर, थाना बछरावां, जनपद रायबरेली सम्मिलित थे। घटना के दौरान सड़क पर एक चारपहिया वाहन में रुकसाना और कलीम थोड़ी दूरी पर बैठे रहते थे।

➡ □ जब भी किसी महिला को झांसे में लेने में कठिनाई होती थी, तो रुकसाना मौके पर पहुँचकर समस्या का समाधान बताने के बहाने उसका विश्वास जीत लेती थी, जिससे हम लोग ठगी कर लेते थे। हम लोग ठगी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए चारपहिया वाहनों को बदल-बदल कर प्रयोग करते थे।

➡ □ इससे पूर्व भी हम लोगों ने मिलकर आजमगढ़ शहर, बलिया, मऊ तथा अन्य कई जनपदों में ठगी की अनेक घटनाएँ की हैं। कस्बा फूलपुर में वृद्ध महिला से ठगी किए गए कुछ जेवरतों को लखनऊ और कानपुर ले जाकर ₹7,32,000 में बेच दिया गया था, जिसे हम पाँचों ने अपने-अपने हिस्से के अनुसार आपस में बाँट लिया था।

गिरफ्तार आरोपितों ने स्वीकार किया—

- वे सामूहिक रूप से टप्पेबाजी/ठगी करते हैं।
- महिलाओं को झांसा देने में समस्या आने पर रुकसाना उन्हें विश्वास में लेती थी।
- घटना में प्रयुक्त तीन-चार गाड़ियों को बदल-बदल कर ठगी करते थे।
- आजमगढ़, बलिया, मऊ व अन्य जिलों में अनेकों वारदातें की हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. असगर अली पुत्र सुभानी, निवासी कुन्दनगंज, थाना बछरावा, जनपद रायबरेली
2. मोहम्मद कलीम पुत्र मोहम्मद सलीम, निवासी पटेल नगर कॉलोनी, थाना बछरावा, जनपद रायबरेली
3. मोहम्मद सलीम उर्फ बब्लू पुत्र मोहम्मद शरीफ, निवासी पटेल नगर कॉलोनी, थाना बछरावा, जनपद रायबरेली
4. रुकसाना पत्नी मोहम्मद सलीम उर्फ बब्लू, निवासी पटेल नगर कॉलोनी, थाना बछरावा, जनपद रायबरेली

बरामदगी

- 03 अदद चारपहिया वाहन (कार)
- सोने के आभूषण (मंगलसूत्र, हार, लाकेट, नथ, बाली, बुंदा, अंगूठियां आदि—कुल लगभग ₹4,00,000 मूल्य)
- ₹2,90,000/- नगद (ठगी की बिक्री रकम)
- 04 मोबाइल फोन
- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिंदा कारतूस

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 554/2025, धारा 318(4)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1- असगर अली पुत्र सुभानी निवासी ग्राम कुन्दनगंज थाना बछरावा जनपद रायबरेली

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	248/22	420/411 भादवि	छावनी	वस्ती
2	337/22	406/411/413/420 भादवि	कोतवाली	वस्ती
3	232/22	411/413 भादवि	पैकौलिया	वस्ती
4	287/22	411/420 भादवि	परसरामपुर	वस्ती
5	185/25	303(2)/318(4)/317(2) बीएनएस	माधोगंज	हरदोई
6	161/25	112/303(2)/318(4)/317(2) बीएनएस	माधोगंज	हरदोई
7	188/25	2(30)/317(2)/336(3)/338/340(2) बीएनएस	माधोगंज	हरदोई
8	70/24	34/406/411/420 भादवि	चिनहट	लखनऊ
9	554/25	318(4)/317(2) बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़
10	573/25	3/25 आर्म्स एक्ट	फूलपुर	आजमगढ़
11	678/2024	धारा 318(2) बीएनएस	कोतवाली	आजमगढ़

2- मो0 सलीम उर्फ बब्लू पुत्र मो0 शरीफ निवासी पटेल नगर कालोनी थाना बछरावा जनपद रायबरेली

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	248/22	420/411 भादवि	छावनी	वस्ती
2	337/22	406/411/413/420 भादवि	कोतवाली	वस्ती
3	232/22	411/413 भादवि	पैकौलिया	वस्ती
4	287/22	411/420 भादवि	परसरामपुर	वस्ती
5	66/22	406/420 भादवि	कोतवाली	जालौन
6	203/17	406 भादवि	लालगंज	प्रतापगढ़

7	554/25	318(4)/317(2) बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़
8	678/2024	धारा 318(2) बीएनएस	कोतवाली	आजमगढ़

3- मोहम्मद कलीम पुत्र मो0 सलीम निवासी पटेल नगर कालोनी थाना बछरांवा जनपद रायबरेली

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	874/23	323/504/506 भादवि	बछरावा	रायबरेली
2	554/25	318(4)/317(2) बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़

4- रुकसाना पत्नी मो0 सलीम उर्फ बब्लू निवासी पटेल नगर कालोनी थाना बछरावा जनपद रायबरेली

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	554/25	318(4)/317(2) बीएनएस	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम

(थाना फूलपुर + स्वाट + सर्विलांस संयुक्त टीम)

- थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द थाना फूलपुर, आजमगढ़
- व0उ0नि0 गंगाराम विन्द थाना फूलपुर, आजमगढ़
- उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी थाना फूलपुर, आजमगढ़
- उ0नि0 अजीज खाँ थाना फूलपुर, आजमगढ़
- उ0नि0 रज्जन द्विवेदी थाना फूलपुर, आजमगढ़
- हे0का0 राजीव कुमार यादव थाना फूलपुर, आजमगढ़
- हे0का0 अवधेश यादव थाना फूलपुर, आजमगढ़
- का0 अरविन्द तिवारी थाना फूलपुर, आजमगढ़
- का0 आदेश कुमार यादव थाना फूलपुर, आजमगढ़
- का0 अनुपम सिंह थाना फूलपुर, आजमगढ़
- का0 राजकुमार थाना फूलपुर, आजमगढ़
- का0 सौरभ यादव थाना फूलपुर, आजमगढ़
- का0 अश्वनी कुमार यादव थाना फूलपुर, आजमगढ़
- म0का0 शिल्पी सिंह थाना फूलपुर, आजमगढ़
- हे0का0 उमेश यादव (सर्विलांस)
- दिनेश यादव (सर्विलांस)
- हे0का0 पवन यादव (स्वाट टीम प्रथम)
- हे0का0 धर्मेन्द्र यादव (स्वाट टीम प्रथम)
- हे0का0 विनीत दूबे (स्वाट टीम प्रथम)
- का0 अरुण पाण्डेय (स्वाट टीम प्रथम)
- का0 सुनील प्रजापति (स्वाट टीम प्रथम)

